

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (राज.)


क्रमांक :- 15

दिनांक:- 03.03.2025

:: कार्यालय-आदेश ::

मैं, ऋचा चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली एतद्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 12 दिनांक 24.02.2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर पाली न्यायक्षेत्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक दाण्डिक कार्यों का निस्तारण/सुनवाई करने के लिये दिनांक 08.03.2025 व 09.03.2025 को Ms. Bhavya Jharwal के स्थान पर Ms. Manisha Charan, Additional Judicial Magistrate, No-1, Pali को तथा दिनांक 30.03.2025 व 31.03.2025 को Ms. Manisha Charan के स्थान पर Ms. Bhavya Jharwal, Additional Judicial Magistrate, No.-2, Pali को अधिकृत करती हूँ:-

इस संबंध में शेष आदेश क्रमांक 12 दिनांक 24.02.2025 यथावत् रहेगा।




(ऋचा चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पाली (राज.)

क्रमांक:- 815

दिनांक:-03.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली / (सा.दं.)पाली / बाली / सोजत / जैतारण / सुमेरपुर / मारवाड जंक्शन
3. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, पाली।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली / मारवाड जंक्शन / बर / सुमेरपुर / देसूरी / बाली / सोजत / जैतारण / सादडी / रानी।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1/2, पाली / सोजत / सुमेरपुर।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन आई एक्ट केसेज) संख्या 1/2 पाली।
7. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रायपुर।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली एवं ब्यावर को प्रेषित कर लेख है कि पाली न्यायक्षेत्र के समस्त थानाधिकारियों को निर्धारित समय (11.00 ए.एम. से 02.00 पी.एम.) में ही आवश्यक रूप से रिमाण्ड न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्य प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।
9. उप निदेशक अभियोजन, पाली को अभियोजन अधिकारी की ड्युटी की व्यवस्था हेतु।
10. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, पाली
11. प्रभारी, कंट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पाली / ब्यावर
12. सिस्टम ऑफिसर - जिला न्यायालय, पाली को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पाली (राज.)